

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—1043 / 2004

संस्थित दिनांक—11.11.2002

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

शोभाराम पिता भगेलसिंह, उम्र 40 वर्ष, जाति गोंड,

निवासी—कातोली, थाना लामता,

जिला बालाघाट(म.प्र.)

आरोपी

मोहबलसिंह पिता भैयालाल उइके,

निवासी—जैतपुरी थाना रूपझर जिला बालाघाट(म.प्र.)।— पूर्व निर्णित

// निर्णय //

(आज दिनांक—18/11/2014 को घोषित)

1— आरोपी शोभाराम के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—39/51 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक—13.08.2002 को ग्राम पुजारीटोला थाना रूपझर अंतर्गत अपनी झोपडी में बगैर अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में शासकीय संपत्ति वन्यप्राणी सांभर एवं चीतल के 6 नग सींग रखा।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि थाना प्रभारी उपनिरीक्षक उमेश तिवारी को दिनांक—13.08.2002 को जंगल सर्चिंग के दौरान लौटते हुए ग्राम खुरसुड़ में मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम जैतपुरी का मोहबलसिंह पुजारीटोला में शोभाराम की झुग्गी में चीतल, सांभर व हिरण के सींग लिये हुये शोभाराम के साथ मौजूद है, वे दोनों सींग बेचने के लिये बंटवारा करके जाने वाले है। सूचना पर हमराह स्टाफ के साथ तस्दीक हेतु पुजारीटोला जाकर घेराबंदी कर झुग्गी तलाशी लेने पर मोहबलसिंह व शोभाराम बैठे हुये मिले। आरोपी मोहबलसिंह के पास 04 नग सींग व आरोपी शोभाराम के पास 06 नग सींग मिले। उक्त सींग रखने के संबंध में परिपत्र एवं अनुज्ञप्ति मांगे जाने पर आरोपीगण के द्वारा नहीं होना बताया गया। पूछताछ पर आरोपीगण ने बताया कि हिरण, चीतल व सांभर का आखेट कर मांस का भरण कर सींग एकत्र किये है जो आपस में बांट रहे है। पुलिस द्वारा आरोपीगण से पृथक—पृथक सींग जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया, तथा आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा थाना वापस आकर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक—102/2002 अंतर्गत धारा—9/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत

अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लिये गये एवं जप्तशुदा संपत्ति का परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी शोभाराम को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-39/51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी शोभाराम ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है। प्रकरण में आरोपी मोहबलसिंह के संबंध में दिनांक-18 जून 2013 को निर्णय घोषित कर दोषमुक्त किया गया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-13.08.2002 को ग्राम पुजारीटोला थाना रूपझर अंतर्गत अपनी झोपडी में बगैर अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में शासकीय संपत्ति वन्यप्राणी सांभर एवं चीतल के 6 नग सींग रखा?

**विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-**

5— जप्ती एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी उमेश तिवारी (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-13.08.2002 को थाना रूपझर में उपनिरीक्षक के पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को जंगल सर्चिंग से लौटते समय मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी शोभाराम झुग्गी में चीतल, सांभर, हिरण के सींग रखे हुये है। उक्त सूचना पर उसके द्वारा हमराह स्टाफ एवं साक्षियों को उक्त मुखबिर सूचना से अवगत कराते हुये ग्राम पुजारीटोला खुरसुड जाकर घेराबंदी कर आरोपी शोभाराम की झुग्गी की तलाशी ली गई, जहां आरोपी शोभाराम उपस्थित मिला। उसके द्वारा आरोपी शोभाराम के पास से सांभर के 06 नग सींग जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार जप्त किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी शोभाराम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त कार्यवाही उपरांत थाना वापस आकर उसके द्वारा प्रदर्श पी-5 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-102/2009, धारा-9/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा साक्षीगण बैसाखू, झेलनसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। दिनांक-13.08.2002 को जंगल सर्चिंग में जाने का रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी-6 है तथा वापसी रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी-7 है, जिनकी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-6 सी एवं प्रदर्श पी-7 सी है। उसके द्वारा आरोपी शोभाराम से जप्त सींग का विधिवत् वन परिक्षेत्र अधिकारी उकवा से परीक्षण कराया गया था, जिसमें 06 नग सींग सांभर का होना बताया गया था, जिसकी रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न किया गया है।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा वन्य प्राणियों के अवशेषो बाबत् कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है। साक्षी ने यह भी

स्वीकार किया है कि उसने स्वतंत्र दो गवाहों को अपने साथ मौके पर ले गया था और कार्यवाही के बाद उन गवाहों को थाने लेकर आ गया था। साक्षी ने आरोपीगण को झुग्गी में देखने और उनके पास कथित सींग रखे होने कथन किये हैं, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त झुग्गी के किस स्थान से कथित सींग की जप्ती की गई, क्योंकि मौके पर पहुंचने पर झुग्गी के अंदर आरोपीगण के हाथ में सींग रखे होने और उन्हें रंगे हाथों पकड़े जाने के कथन अस्वाभाविक प्रतीत होते हैं।

7— साक्षी बैसाखू (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसके सामने पुलिस ने कोई जप्ती नहीं की थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसके सामने पुलिस द्वारा आरोपी से सांभर के सींग जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 व 2 तैयार किये जाने और आरोपी को गिरफ्तार किये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की थी, उसने पुलिस के कहने पर कागज पर अंगुठा लगाया था। इस प्रकार इस स्वतंत्र साक्षी ने पुलिस द्वारा की गई जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

8— प्रीतमसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह वर्ष 2000 से थाना रूपझर में मोहरिर प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसने मालखाना में प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति को रखा था। तत्संबंध में अभियोग पत्र में कोई दस्तावेज नहीं लगा है। इस साक्षी के कथन से आरोपी के विरुद्ध कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रकट नहीं होती है, बल्कि साक्षी ने केवल जप्तशुदा संपत्ति को थाने के मालखाने में सुरक्षार्थ रखे जाने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

9— अभियोजन की ओर से महत्वपूर्ण स्वतंत्र साक्षी बैसाखू अ.सा.1 की ही साक्ष्य पेश की गई है, जबकि अन्य स्वतंत्र साक्षी झेलनसिंह की साक्ष्य न्यायालय में नहीं करायी गई है। इस प्रकार अभियोजन का मामला जप्ती अधिकारी एवं स्वतंत्र साक्षी बैसाखू (अ.सा.1) की साक्ष्य पर प्रमाणित हेतु निर्भर करता है। जप्ती एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी उमेश तिवारी (अ.सा.3) ने मामले में कार्यवाही जिन साक्षीगण के सामने किया जाना प्रकट किया है, उन में से एक महत्वपूर्ण साक्षी बैसाखू (अ.सा.1) ने उसकी कार्यवाही का किसी भी प्रकार से समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है, बल्कि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर कागज पर अंगुठा लगाया था तथा उसके सामने पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। इस प्रकार अभियोजन का मामला केवल जप्ती अधिकारी की साक्ष्य पर निर्भर है।

10— जप्ती एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी उमेश तिवारी (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी मोहबलसिंह एवं शोभाराम से अलग-अलग जप्ती पंचनामा तैयार कर कथित सांभर के सींग उन से जप्त करना प्रकट किया है, जबकि दोनों जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 एवं प्रदर्श पी-2 में जप्ती के स्थान के रूप में शोभाराम की झुग्गी का उल्लेख किया गया है। कथित जप्ती के पूर्व दोनों आरोपीगण से कोई पूछताछ करने

का तथ्य साक्षी ने पेश नहीं किया है। अतः यह अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि आरोपीगण से बिना पूछताछ कर तथा बिना मेमोरैण्डम कार्यवाही के शोभाराम की झोपड़ी में से कथित सींगो को जप्त किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि आरोपी शोभाराम की झोपड़ी वाले जप्ती के स्थान की जानकारी जप्ती अधिकारी को किस प्रकार हुई तथा उक्त स्थान का संदेह किस प्रकार उसे हुआ, इस तथ्य का उल्लेख उसने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

11— जप्ती एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी उमेश तिवारी (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी प्रकट नहीं किया है कि उसने आरोपी शोभाराम से कथित जप्ती की कार्यवाही किन साक्षीगण के समक्ष किया था। स्वतंत्र साक्षी बैसाखू (अ.सा.1) का कहना है कि उसके सामने कोई पंचनामा नहीं बनाया गया है और न ही जप्ती की गई तथा पुलिस ने कोरे कागज पर उसका अंगुठा लगाया था। अतः उक्त सम्पूर्ण तथ्य को एक साथ विचार में लिया जाये तो बचाव पक्ष का यह तर्क सत्य प्रतीत होता है कि जप्ती अधिकारी ने किसी भी साक्षी के समक्ष जप्ती की कार्यवाही नहीं की, बल्कि थाने में उक्त साक्षी को बुलाकर कागज पर अंगुठा निशान लगा लिया। यह भी उल्लेखनीय है कि जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 में अपराध क्रमांक-0/2002 के नीचे का क्रमांक-102/2002 उल्लेखित है जो एक ही स्याही एवं हस्तलिपि से लिखा जाना प्रकट होता है। अतएव उक्त तथ्य से भी यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि जप्ती अधिकारी उमेश तिवारी (अ.सा.3) ने मौके पर असल अपराध क्रमांक न होने के बाजवूद भी उसका उल्लेख कथित जप्ती कार्यवाही के समय किये जाने से मामला संदेहास्पद हो जाता है। अतएव इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि जप्ती अधिकारी ने सम्पूर्ण कार्यवाही औपचारिक रूप से थाने में बैठकर तैयार कर यह मामला असत्य रूप से तैयार किया है।

12— न्यायदृष्टांत भारत विरुद्ध म.प्र. राज्य, एम.पी.एल.जे. 2003(3), पेज 292 (एस.सी.) में माननीय न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि यदि जप्ती पंचनामा पर साक्षी के हस्ताक्षर लिये गये हो या अंगुठा निशानी लिये गये हो और जिस अधिकारी के कहने पर उक्त साक्षियों ने जप्ती पंचनामा पर हस्ताक्षर किये और वह साक्षी यह कहना है कि उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब ऐसे विवेचक के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिपादित सिद्धांत इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति में लागू किया जा सकता है।

13— जप्ती अधिकारी उमेश तिवारी (अ.सा.3) ने प्रकरण में आरोपी शोभाराम से कथित जप्तशुदा सांभरों के सींग की जांच बाबत पत्र दिनांक-14.08.02 संलग्न है, किन्तु उक्त दस्तावेज को प्रदर्श नहीं कराया गया और न ही कथित जांचकर्ता अधिकारी की साक्ष्य पेश की गई है। ऐसी दशा में कथित जप्तशुदा सांभर के सींग की पहचान के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य भी अभिलेख पर नहीं है, जिसके आधार पर यह प्रमाणित हो सके कि प्रकरण में जप्तशुदा सींग सांभर के ही हैं।

14— जहां अभियोजन का मामला एकमात्र पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई



सम्पूर्ण कार्यवाही पर निर्भर करता हो वहां ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई जांच एवं विवेचना निष्पक्षतापूर्ण एवं संदेह से परे प्रमाणित होना आवश्यक है। मामले में जप्ती अधिकारी ने स्वयं जप्ती की कार्यवाही के साथ मौके पर कथित जप्ती की कार्यवाही एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर, पश्चात् में थाना में आकर स्वयं प्राथमिकी दर्ज की है। ऐसी दशा में सम्पूर्ण कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी की साक्ष्य का स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा समर्थन न किये जाने से कार्यवाही निष्पक्षतापूर्ण निष्पादित किया जाना संदेहास्पद हो जाता है।

15— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी शोभाराम ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में अपनी झोपड़ी में बगैर अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में शासकीय संपत्ति वन्यप्राणी सांभर एवं चीतल के 6 नग सींग रखा। अतएव आरोपी शोभाराम को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-39/51 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

16— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

17— प्रकरण में आरोपी शोभाराम दिनांक-14.08.2002 से दिनांक-19.08.2002 तक, दिनांक-12.07.2013 से दिनांक-01.08.2013 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है, उक्त अवधि के संबंध धारा-428 द.प्र.सं. के अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

18— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति सांभर, हिरण व चीतल के 10 नग सींग को विधिवत नष्ट करने हेतु मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त बालाघाट, जिला बालाघाट को अपील अवधि पश्चात् सौंपा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट